

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन

प्रमाण पत्र क्रमांक 1188639



ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र

विद्यालय का नाम: LBS

| विद्यालय प्रवेशांक | नामांक | ब्लॉक | जिला      | विद्यालय डायन कोड |
|--------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
| 1200               | 11050  | C     | Ahmedabad | 1100666           |

निजी विद्यालय की स्थिति में मान्यता क्रमांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री sarthak

माता श्रीमती sarthak

पिता श्री sarthak

जन्म तिथि (अंकों में) 27-Aug-03

(शब्दों में)

ने अत्र में निम्नानुसमान प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर प्राप्त किया है।

| क्र.सं. | विषय एवं आकलन सूचक  | समेकित ग्रेड (सैद्धांतिक + सत्रांक के आधार पर) |
|---------|---|--|
| 1.      | हिन्दी<br>(पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना (गद्य एवं पद्य) व्यावहारिक व्याकरण सृजनात्मक अभिव्यक्ति, परिवेशीय सजगता)   | B  |
| 2.      | अंग्रेजी<br>(Lexical Items, Structural Items, Reading Comprehension, Writing)   | C  |
| 3.      | गणित<br>(आकृति व स्थान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ, संक्रियाओं की समझ, मापन की समझ, आँकड़ों का प्रबन्धन व पैटर्न की समझ)  | C  |
| 4.      | पर्यावरण अध्ययन<br>(अवलोकन व दर्ज करना, सम्प्रेषण कौशल (अभिव्यक्ति/चर्चा), वर्गीकरण करना, व्याख्या/विश्लेषण करना, प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकर, एक-दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना) | A  |
| 5.      | संस्कृत / उर्दू<br>(संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों/मदरसा हेतु)  | C  |
|         | औसत ग्रेड   | D  |
| 6.      | कला शिक्षा  | D  |
| 7.      | कार्यानुभव  | A+   |
| 8.      | स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा  | A+   |

स्थान: Chittorgarh

दिनांक: 16-may-2023

हस्ताक्षर  
अनस्था प्रधान मय नील

### विशेष विवरण

1. विद्यार्थी को 20 प्रतिशत आंतरिक (सत्रांक) एवं 80 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन (सैद्धांतिक) के आधार पर विषयवार समेकित ग्रेड दी गई है।
2. समेकित ग्रेड का श्रेणीकरण 5 पॉइंट स्केल के आधार पर निम्नानुसार किया गया है -

| ग्रेड        | A+     | A     | B     | C     | D    |
|--------------|--------|-------|-------|-------|------|
| अंक निर्धारण | 91-100 | 76-90 | 61-75 | 41-60 | 0-40 |

3. कला शिक्षा, कार्यानुभव तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के लिए विद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य एवं गतिविधियों के सतत आकलन के आधार पर उक्त 5 पॉइंट स्केल पर आधारित ग्रेड दी गई है।
4. इस मूल्यांकन व्यवस्था में कृपांक का प्रावधान नहीं है।
5. आर.टी.ई. 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण करना है अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
6. इस मूल्यांकन में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं रखा गया है। लेकिन पुनर्गणना का प्रावधान है।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर  
अस्था प्रधान मय श्रील